प्रथम विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण पुस्तिका

दिनांक 23 सितंबर, 2002 से 1 अक्टूबर, 2002

षष्ठम सत्र

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

सोमवार, दिनांक 23 सितम्बर, 2002

(आश्विन 1, 1924)

1. राष्ट्रगान

सदन में राष्ट्रगान ''वन्देमातरम्'' सम्पन्न हुआ.

2. सभापति तालिका

माननीय अध्यक्ष ने विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 9 (1) के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नामनिर्दिष्ट किया :—

(1) श्री गणेश शंकर बाजपेयी

(2) श्री धर्मजीत सिंह

(3) श्री डोमेन्द्र भेंडिया

(4) प्रो. गोपाल राम

(5) श्री महेश तिवारी

(6) श्री रामविचार नेताम

3. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक दिनांक 22 सितम्बर, 2002 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित कार्यों के लिए उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है :—

		निर्धारित समय
	वित्तीय कार्य	
	वर्ष 2002-2003 के प्रथम अनुपूरक की मांगों पर मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक पर पर चर्चा.	3 घंटे
	शासकीय विधि विषयक कार्य	
(1)	छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (संशोधन) विधेयक, 2002	30 मिनट
(2)	छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2002	2 घंटे
(3)	छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध (संशोधन) विधेयक, 2002	30 मिनट
(4)	भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2002	1 घंटा 30 मिनट
(5)	छत्तीसगढ़ चिकित्सा महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश विधेयक, 2002	1 घंटा
(6)	छत्तीसगढ़ लोक आयोग विधेयक, 2002	2 घंटा

निर्धारित समय

नियम 139 के अधीन चर्चा

(1)	नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत इत्यादि स्थानीय निकायों को प्रदेश शासन द्वारा अधिकार हीन किए जाने के संबंध में श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य की सूचना पर चर्चा.	1 घंटा 30 मिनट
(2)	वैश्वीकरण और बाजार के नए तेवर के मुद्देनजर छत्तीसगढ़ राज्य की वर्षा, जलवायु, जमीन और बाजार के अनुकूल फसल चक्र के चयन के संबंध में श्री महेश तिवारी, सदस्य की सूचना पर चर्चा.	1 घंटा 30 मिनट
(3)	प्रदेश की जीर्ण-शीर्ण सड़कों का नवीनीकरण एवं मरम्मत करने के संबंध में श्री नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य की सूचना पर चर्चा.	1 घंटा 30 मिनट

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि सदन की बैठकें मंगलवार, दिनांक 24 सितम्बर, 2002 से 11.00 बजे दिन से 1.30 बजे व अपरान्ह 3.00 बजे से 5.30 बजे तक रखी जाए. भोजन अवकाश दोपहर 1.30 बजे से 3.00 बजे तक रहेगा.

श्री सत्यनारायण शर्मा, शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि वित्तीय कार्य, शासकीय विधेयकों तथा अन्य कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण के संबंध में कार्यमंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़कर सुनाई गई हैं, सदन उन्हें स्वीकृति देता है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

4. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री कृष्ण कांत, भारत के पूर्व उप-राष्ट्रपति, श्री बी. डी. जत्ती, भारत के पूर्व उप-राष्ट्रपति, बैरिस्टर गुलशेर अहमद, म. प्र. विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष, श्री हरिप्रेम बघेल, म. प्र. विधान सभा के पूर्व सदस्य, श्री नेमीचंद श्री श्रीमाल, म. प्र. विधान सभा के पूर्व सदस्य, श्री भंवरसिंह बंजारे, म. प्र. विधान सभा के पूर्व सदस्य, श्री शिवप्रसाद पटेल, म. प्र. विधान सभा के पूर्व सदस्य के निधन पर शोकोद्‌गार व्यक्त किये गये.

मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी, नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय, सदस्य सर्वश्री दाऊराम रत्नाकर, बृजमोहन अग्रवाल ने भी शोकोद्‌गार व्यक्त किये.

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्तजन के लिए संवेदना प्रकट की गई.

मंगलवार, दिनांक 24 सितम्बर, 2002

(आश्विन 2, 1924)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 6 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उनके उत्तर दिए गए.

खनिज विकास निगम को रेत विक्रय हेतु अधिकृत किये जाने के निर्णय संबंधी तारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्र. 189) पर माननीय मंत्री के उत्तर से असंतुष्ट होकर नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय के नेतृत्व में भाजपा सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 11 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 29 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री भूपेश बघेल, राजस्व मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (क्रमांक 2 सन् 2002) पटल पर रखा.

(2) श्री नंदकुमार पटेल, गृह मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (क्रमांक 3 सन् 2002) पटल पर रखा.

(3) श्री सत्यनारायण शर्मा, शिक्षा मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (क्रमांक 4 सन् 2002) पटल पर रखा.

(4) श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, सामान्य प्रशासन मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक आयोग अध्यादेश, 2002 (क्रमांक 5 सन् 2002) पटल पर रखा.

(5) श्री नंदकुमार पटेल, गृह मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (क्रमांक 7 सन् 2002) पटल पर रखा.

(6) श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, सामान्य प्रशासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ मेडिकल स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा नियम, 2002 (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (क्रमांक 8 सन् 2002) पटल पर रखा.

(7) श्री शंकर सोढ़ी, श्रम मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (क्रमांक 9 सन् 2002) पटल पर रखा.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. प्रेमसाय सिंह, कृषि मंत्री ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 की धारा 42 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़) की वैधानिक आडिट रिपोर्ट उत्तर एवं प्रबंध मंडल की टिप्पणी वर्ष 1998-99 पटल पर रखी.

(2) डॉ. शक्राजीत नायक, राज्य मंत्री, जल संसाधन ने सिंचाई अधिनियम, 1974 की धारा 37 के अंतर्गत नियम 36 तथा 37 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य में शासकीय अथवा नैसर्गिक स्रोत से औद्योगिक प्रयोजन, ताप विद्युत तथा जल विद्युत परियोजना के लिये जल उपयोग हेतु दिनांक 1-5-98 से निर्धारित जल दरों का पुनः निर्धारण किये जाने संबंधी संक्षेपिका पटल पर रखी.

4. फरवरी-मार्च, 2002 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष ने फरवरी-मार्च, 2002 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों को पटल पर रखे जाने की घोषणा की.

5. नियम 267-क के अधीन फरवरी-मार्च, 2002 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष ने नियम 267-क के अधीन फरवरी-मार्च, 2002 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखे जाने की घोषणा की.

6. महामहिम राष्ट्रपति/राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा के विगत सत्रों में पारित विधेयकों में से एक विधेयक पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय तथा 26 विधेयकों पर महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है. अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक भाग-दो के माध्यम से पृथक से वितरित किया जा रहा है.

7. स्थगन प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष ने प्रदेश में नक्सली गतिविधियों में बढ़ोत्तरी होने के संबंध में सर्वश्री महेश तिवारी, नारायण प्रसाद चंदेल, लीलाराम भोजवानी, अमर अग्रवाल, धरम कौशिक, अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा, सदस्यों की स्थगन प्रस्ताव की सूचना पढ़ी.

श्री नंदकुमार पटेल, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया तथा इस स्थगन प्रस्ताव को चर्चा हेतु ग्राह्य करने पर सहमति प्रदान की.

माननीय अध्यक्ष ने गृह मंत्री की सहमति के परिप्रेक्ष्य में स्थगन प्रस्ताव को चर्चा हेतु ग्राह्य करने की घोषणा की तथा अपराह्न 3.00 बजे से इस पर चर्चा हेतु समय नियत किया.

8. ध्यानाकर्षण

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम 138 (3) को शिथिल करके उन्होंने आज की कार्यसूची में तीन सूचनाएं शामिल किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है.

माननीय अध्यक्ष ने माननीय सदस्यों से अनुरोध किया कि वे बिना किसी भूमिका के प्रश्न करें और एक-एक ध्यानाकर्षण 10-10 मिनट में पूर्ण कर लें ताकि तीनों ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर आधे घंटे में चर्चा पूर्ण की जा सके. माननीय सदस्यों से सहयोग की अपेक्षा है.

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

(1) सर्वश्री महेश तिवारी, लीलाराम भोजवानी, नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य ने रिजर्व बैंक के मापदण्डों के विपरीत प्रदेश में जिला सहकारी बैंकों का गठन किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

डॉ. प्रेमसाय सिंह, सहकारिता मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(2) सर्वश्री गौरीशंकर अग्रवाल, लीलाराम भोजवानी, संजीव शाह, सदस्य ने प्रदेश के संविदा शिक्षकों की नियुक्ति में अनियमितता (भ्रष्टाचार) होने की ओर शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री सत्यनारायण शर्मा, शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(3) कार्यसूची के पद क्रमांक 7 के उप-पद (3) में दर्ज ध्यानाकर्षण सूचना के संबंध में माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि इस ध्यानाकर्षण सूचना तथा इस पर माननीय मंत्री का वक्तव्य सदन में पढ़ा हुआ माना जाय या इसको कल लिया जाए, इस बारे में वे बाद में विचार करेंगे.

9. वर्ष 2002-2003 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री नंदकुमार पटेल, गृह मंत्री ने वर्ष 2002-2003 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया.

माननीय अध्यक्ष ने इस अनुपूरक अनुमान पर चर्चा और मतदान के लिए दिनांक 25 सितम्बर, 2002 को अपराह्न 4.00 बजे का समय निर्धारित किया.

10. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार :—

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य की धमतरी जिले के नगरी में बंदोबस्त सर्वेक्षण उपरांत राजस्व रिकार्ड में हुई त्रुटियां सुधार करने,

श्री महेश तिवारी, सदस्य की महाकौशल संगीत समिति, रायपुर के अध्यापन स्टॉफ को अत्यन्त न्यून वेतनमान दिये जाने,

श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, सदस्य की प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं को रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने,

श्री लीलाराम भोजवानी, सदस्य की राजनांदगांव जिला चिकित्सालय को जिला अस्पताल का दर्जा न मिलने तथा स्टॉफ, उपकरण तथा दवाइयों की व्यवस्था में अनियमितता किये जाने, एवं

श्री नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य की नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा किसानों से उपार्जित धान कर्मचारियों की मिली भगत से अवैध रूप से बेचे जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गई.

स्थगन प्रस्ताव (3.03 बजे चर्चा प्रारंभ)

प्रदेश में नक्सली गतिविधियों में बढ़ोत्तरी होने के संबंध में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा प्रारम्भ हुई. चर्चा में निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :—

(1) श्री महेश तिवारी

(2) श्री गणेश शंकर बाजपेयी

[उपाध्यक्ष महोदय (श्री बनवारीलाल) पीठासीन हुए.]

(3) श्री बृजमोहन अग्रवाल

(4) डॉ. हरिदास भारद्वाज

(5) श्री नारायण प्रसाद चंदेल

(6) डॉ. रामलाल भारद्वाज

(7) श्री लीलाराम भोजवानी

(8) श्री गौरीशंकर अग्रवाल

(9) श्री धरम कौशिक

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा नियमावली के नियम 58 (1) के अधीन जिस समय से स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा प्रारंभ होती हैं उससे दो घन्टे बीत जाने पर, यदि वाद-विवाद पहले ही समाप्त न हो चुका हो, तो वह आप ही समाप्त हो जायेगी.

स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा 3.00 बजे से प्रारंभ हुई और नियमानुसार 5.00 बजे समाप्त हो जानी चाहिए. माननीय नेता प्रतिपक्ष भी भाषण देना चाहते हैं तथा माननीय मंत्री जी भी अपना उत्तर देंगे. अतः माननीय मंत्री जी का उत्तर आने तक इस स्थगन पर चर्चा जारी रखी जाय.

इस संबंध में सदन की सहमति चाही गई.

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

(10) श्री नंदकुमार साय, नेता प्रतिपक्ष

श्री नंदकुमार पटेल, गृह मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

बुधवार, दिनांक 25 सितम्बर, 2002

(आश्विन 3, 1924)

1. निधन का उल्लेख

माननीय अध्यक्ष द्वारा अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री मुन्नालाल शुक्ल के निधन तथा गुजरात की राजधानी गांधीनगर स्थित स्वामी नारायण संप्रदाय के अक्षरधाम मंदिर में हुए आतंकवादी हमले में मृत व्यक्तियों के प्रति शोकोद्‌गार व्यक्त किये गये.

मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी, नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय, शिक्षा मंत्री श्री सत्यनारायण शर्मा, श्री बनवारीलाल अग्रवाल, उपाध्यक्ष, श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य एवं राज्य मंत्री कल्याण श्री बदरुद्दीन कुरैशी ने भी शोकोद्‌गार व्यक्त किये.

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्तजन के लिए संवेदना प्रकट की गई.

दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की गई.

11.39 बजे सभा की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई.

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में 7 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उनके उत्तर दिये गये.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 12 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 31 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि के लिए रखे गए बजट प्रावधान संबंधी तारांकित प्रश्न संख्या 8 (क्रमांक 349) पर माननीय मंत्री के उत्तर से असंतुष्ट होकर भाजपा सदस्यों ने नारे लगाये. व्यवधान होने से सभा की कार्यवाही 12 बजकर 2 मिनट पर 10 मिनट के लिए स्थगित की गई. 12.12 बजे सभा की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई.

3. स्थगन प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष ने शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग देर से शुरु कराने से शासन को तीन सौ करोड़ रुपये का नुकसान होने संबंधी सदस्य सर्वश्री शिवरतन शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल, महेश तिवारी, लीलाराम भोजवानी, गौरीशंकर अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, नारायण प्रसाद चंदेल की स्थगन प्रस्ताव की सूचना पढ़ी.

श्री मोहम्मद अकबर, राज्य मंत्री, खाद्य ने इस पर वक्तव्य दिया.

माननीय सदस्यों के विचार तथा शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात् माननीय अध्यक्ष ने इस स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी.

(शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय के नेतृत्व में भाजपा सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया.)

4. ध्यानाकर्षण

माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को सूचित किया गया कि—सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम

138 (3) को शिथिल करके उन्होने आज की कार्यसूची में तीन सूचनाएं शामिल किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है. माननीय अध्यक्ष ने सदस्यों से अनुरोध किया कि वे बिना किसी भूमिका के प्रश्न करें और एक-एक ध्यानाकर्षण 10-10 मिनट में पूर्ण कर लें ताकि तीनों ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर आधे घण्टे में चर्चा पूर्ण की जा सके. माननीय सदस्यों से सहयोग की अपेक्षा है.

इस संबंध में सदन की सहमति चाही गई.

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

(1) सर्वश्री नारायण प्रसाद चंदेल, शिवरतन शर्मा, अजय चन्द्राकर, सदस्य ने प्रदेश में कल्चर खाद (जैविक खाद) खरीदी में अनियमितता होने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

डॉ. प्रेमसिंह, कृषि मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(2) सर्वश्री शिवरतन शर्मा, अजय चन्द्राकर, महेश तिवारी, सदस्य ने शराब माफियाओं द्वारा प्रदेश में शराब की अवैध बिक्री होने की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री नंदकुमार पटेल, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(3) माननीय सभापति की घोषणानुसार कार्यसूची के पद क्रमांक 2 के उप-पद (3) में वर्णित प्रो. गोपालराम, सदस्य की ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर माननीय राजस्व मंत्री का वक्तव्य सदन में पढ़ा हुआ माना गया.

5. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय सभापति की घोषणानुसार :—

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य की तहसील कुरुद के ग्राम सरईभदर निवासी चम्पेश्वर पिता मेहतरू गोंड की मृत्यु की जांच करने,

श्री लीलाराम भोजवानी, सदस्य की राजनांदगांव शहर के क्षेत्रों में पेयजल का भीषण संकट होने,

प्रो. गोपालराम, सदस्य की जिला सरगुजा के सीतापुर तहसील के अंतर्गत आदिवासी की जमीन गैर-आदिवासी के नाम सीधे नामांतरण करने,

श्री धरम कौशिक, सदस्य की विकासखण्ड बिल्हा अंतर्गत विभिन्न मार्गों की स्थिति अत्यन्त जर्जर होने, एवं

श्री रामविचार नेताम, सदस्य की सरगुजा जिले की पाल परियोजना अंतर्गत राशि प्राप्त नहीं होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई.

(सदस्य श्री महेश तिवारी द्वारा ध्यानाकर्षण सूचना में उनके नाम का उल्लेख होने के बावजूद उन्हें बोलने की अनुमति न दिये जाने के विरोध में दिन भर के लिए सदन से बहिर्गमन किया.)

(नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय के नेतृत्व में भाजपा सदस्यों ने विपक्ष के अधिकारों के हनन का आरोप लगाते हुए सत्ता पक्ष की मनमानी के खिलाफ दिन भर के लिए सदन से बहिर्गमन किया.)

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री नंदकुमार पटेल, गृह मंत्री ने सदन की अनुमति से छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक 21 सन् 2002) पुरःस्थापित किया.

श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने सदन की अनुमति से छत्तीसगढ़ चिकित्सा महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश विधेयक, 2002 (क्रमांक 26 सन् 2002) पुरःस्थापित किया.

7. वर्ष 2002-2003 के प्रथम अनुपूरक मांगों पर चर्चा

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि—परंपरानुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उस पर एक साथ चर्चा होती है. अतः मैं माननीय गृह मंत्री से कहूंगा कि वे सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें.

इस संबंध में सदन की सहमति चाही गई.

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

श्री नंदकुमार पटेल, गृह मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि :—

"दिनांक 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या—1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 55, 56, 57, 58, 60, 64, 66, 67, 68, 75, 79, 80, 81 एवं 82 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर आठ सौ तिरसठ करोड़, छत्तीस लाख, छः हजार, एक सौ सोलह रुपये की अनुपूरक राशि दी जाए."

निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :—

(1) श्री हीरासिंह मरकाम

(माननीय अध्यक्ष के अनुरोध पर नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय के नेतृत्व में भाजपा सदस्यों ने पुनः सदन में प्रवेश कर अपना-अपना आसन ग्रहण किया.)

(2) श्री बृजमोहन अग्रवाल

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि 4.00 बजे तक का समय अनुपूरक मांगों पर चर्चा के लिए निर्धारित किया गया था. 4.00 बजे से विनियोग विधेयक लिया जाना चाहिए. चूंकि कई माननीय सदस्यों के नाम चर्चा के लिए शेष है. अतः अनुपूरक मांगों पर चर्चा पूर्ण होने के उपरांत विनियोग विधेयक लिया जायेगा.

इस संबंध में सदन की सहमति चाही गई.

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

(3) श्री देवव्रत सिंह

(4) श्री अजय चन्द्राकर

(5) श्री धर्मजीत सिंह

(6) श्री रामविचार नेताम

(7) श्री हरषद मेहता

(8) श्री लीलाराम भोजवानी

(9) श्री डोमेंद्र भेंडिया

(10) श्री नारायण प्रसाद चंदेल

(11) श्री अग्नि चन्द्राकर

(12) डॉ. हरिदास भारद्वाज

(13) श्री धरम कौशिक

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन की सहमति से अनुपूरक अनुमान का प्रस्ताव पारित होने तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक पर विचार पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि करने की घोषणा की.

(14) श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर
(15) श्री शिवरतन शर्मा
(16) डॉ. रामलाल भारद्वाज
(17) श्री नंदकुमार साय, नेता प्रतिपक्ष

श्री नंदकुमार पटेल, गृह मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

श्री नंदकुमार पटेल, गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2002 पुरःस्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2002 पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

खण्ड 2, 3 व अनुसूची विधेयक के अंग बने.

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना.

पूर्णनाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री नंदकुमार पटेल, गृह मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2002 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

गुरुवार, दिनांक 26 सितम्बर, 2002

(आश्विन 4, 1924)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 4 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उनके उत्तर दिये गये.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 7 तारांकित प्रश्नों के तथा 29 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. मंत्रि-परिषद् में अविश्वास प्रस्ताव की सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि उनके पास मंत्रि-परिषद् के प्रति अविश्वास प्रस्ताव की एक सूचना श्री नंदकुमार साय, नेता प्रतिपक्ष की प्राप्त हुई है जिसे वे पढ़कर सुनाते हैं :—

"यह सदन मुख्यमंत्री, श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी एवं उनके मंत्रि-परिषद् के विरुद्ध अविश्वास प्रकट करता है."

माननीय अध्यक्ष ने सदन से जानना चाहा कि जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दिये जाने के पक्ष में हो वे कृपया खड़े हो जाएं.

(उपस्थित भाजपा सदस्यों के खड़े होने के पश्चात्)

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि चूंकि 9 से अधिक सदस्य खड़े हुए हैं इसलिए इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए अनुमति दी जाती है.

माननीय अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सोमवार, दिनांक 30 सितम्बर, 2002 को अपराह्न 12.00 बजे से 5.30 बजे तक का समय नियत किया.

3. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

डॉ. प्रेमसिंह, कृषि एवं सहकारिता मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (क्रमांक 6 सन् 2002) पटल पर रखा.

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री भूपेश बघेल, राजस्व, राहत कार्य, पुनर्वास मंत्री ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता अधिनियम, 1959 की धारा 258 की उप-धारा (4) की अपेक्षानुसार राजस्व, राहत, पुनर्वास एवं धर्मस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-7-3/राजस्व/2002 दिनांक 1 अप्रैल, 2002 पटल पर रखी.

5. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं पारण

डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

प्रतिवेदन इस प्रकार है :—

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 27 सितम्बर, 2002 को चर्चा के लिए आने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया, तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिए निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :—

		अशासकीय संकल्प	समय
1.	(क्रमांक-2)	श्री महेश तिवारी	1 घंटा
2.	(क्रमांक-3)	डॉ. हरिदास भारद्वाज	45 मिनट
3.	(क्रमांक-8)	श्री नारायण प्रसाद चंदेल	45 मिनट

डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

6. स्थगन प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष ने राजधानी रायपुर के वरिष्ठ पत्रकार श्री राजनारायण मिश्र से अभद्र व्यवहार कर उन्हें गिरफ्तार करने के संबंध में सदस्य सर्वश्री महेश तिवारी, लीलाराम भोजवानी, नारायण प्रसाद चंदेल, शिवरतन शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल, गौरीशंकर अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, अमर अग्रवाल की स्थगन प्रस्ताव की प्राप्त सूचना को पढ़ा.

श्री नंदकुमार पटेल, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

माननीय सदस्यों के विचार तथा शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात् माननीय उपाध्यक्ष ने इस स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी.

7. ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, अजय चन्द्राकर, सदस्य ने छत्तीसगढ़ वन विकास निगम के प्रबंध संचालक द्वारा भ्रष्टाचार एवं अनियमितता किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री डेरहूप्रसाद धृतलहरे, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

माननीय मंत्री की ओर से समाधानकारक उत्तर न आ पाने के कारण माननीय उपाध्यक्ष ने उपरोक्त ध्यानाकर्षण को शुक्रवार, दिनांक 27 सितम्बर, 2002 के लिए स्थगित करने की घोषणा की.

(2) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने तहसील लोरमी एवं पंडरिया वन परिक्षेत्र में रहने वाले कृषकों एवं आदिवासियों को बेदखल कर उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किये जाने के संबंध में वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री डेरहूप्रसाद धृतलहरे, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

8. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, सदस्य ने विकासखण्ड मोहला के ग्राम पंचायत धावड़ेटोला के सरपंच द्वारा फर्जी मस्टर रोल बनाकर शासकीय राशि का गबन करने,

श्री लीलाराम भोजवानी, सदस्य ने प्रदेश में पंचायत कर्मियों को नियमित वेतनमान न मिलने,

श्री मेघाराम साहू, सदस्य ने जांजगीर-चांपा जिले के अंतर्गत हसदेव बांगो सक्ती के ग्राम दुरपा एवं अन्य ग्रामों में पुल का निर्माण करने,

श्री संजीव शाह, सदस्य ने विधान सभा क्षेत्र चौकी के ग्रामों के अधिकांश मजरा, टोलों में विद्युत का अभाव होने, एवं

श्री ननकीराम कंवर, सदस्य ने जांजगीर-चांपा के ग्राम बम्हनीडीह के विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा अवैध मकानों को विद्युत कनेक्शन देने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ीं.

9. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर की सभा (कोर्ट) के लिए विधान सभा के 8 सदस्यों का निर्वाचन

श्री सत्यनारायण शर्मा, शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि—"यह सभा, उस रीति से जैसा अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 20 की उप-धारा (1) के पद (अठारह) की अपेक्षानुसार पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर की सभा (कोर्ट) के लिए अपने में से 08 सदस्यों के चयन के लिए अग्रसर हो."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि निर्वाचन का कार्यक्रम निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है :—

(1) नाम-निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में दिनांक 27 सितम्बर, 2002 को अपराह्न 3.00 बजे तक दिये जा सकते हैं.

(2) नाम-निर्देशन प्रपत्रों की संवीक्षा दिनांक 27 सितम्बर, 2002 को अपराह्न 4.00 बजे से विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-1 में होगी.

(3) उम्मीदवारी से नाम वापिस लेने की सूचना दिनांक 28 सितम्बर, 2002 को अपराह्न 3.00 बजे तक सचिवालय में दी जा सकती हैं.

(4) निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो, दिनांक 1 अक्टूबर, 2002 को अपराह्न 2.00 बजे से 4.00 बजे तक समिति कक्ष क्रमांक-2 में होगा.

(5) निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जायेगा.

उपर्युक्त निर्वाचन में अभ्यार्थियों के नाम प्रस्तावित करने के प्रपत्र एवं नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र की प्रतियां विधान सभा सचिवालय के सूचना कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं.

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री शंकर सोढ़ी, श्रम मंत्री ने सदन की अनुमति से छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध (संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक 24 सन् 2002) पुरःस्थापित किया.

श्री नंदकुमार पटेल, गृह मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक 21 सन् 2002) पर विचार किया जाए.

सदस्य श्री अमर अग्रवाल, डॉ. हरिदास भारद्वाज, श्री ननकीराम कंवर ने चर्चा में भाग लिया.

श्री नंदकुमार पटेल, गृह मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

खण्ड 2 विधेयक का अंग बना.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

पूर्णनाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री नन्दकुमार पटेल, गृह मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (संशोधन) विधेयक, 2002 पारित किया जाए तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

छत्तीसगढ़ चिकित्सा महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश विधेयक, 2002 पर विचार

माननीय अध्यक्ष ने श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, स्वास्थ्य मंत्री को छत्तीसगढ़ चिकित्सा महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश विधेयक, 2002 पर विचार करने हेतु प्रस्ताव पेश करने हेतु कहा. उसी समय श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि भारत के संविधान की अनुसूची एक में इस बात का उल्लेख है कि उच्चतर शिक्षा अनुसंधान संस्थाओं में तथा वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं के मानकों का समन्वय और अवधारणा केन्द्र सरकार का विषय है. इसलिए इसके बारे में नियम और मानक केन्द्र सरकार ही तय कर सकती है, राज्य सरकार नहीं. उनका कथन था कि यह विधेयक केन्द्र सरकार के अधिकारों का अतिक्रमण है. उन्होंने आगे कहा कि इस विषय में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में एक याचिका भी दायर है. जिसके माध्यम से स्नातकोत्तर शिक्षा की अनुमति से पूर्व गांव में सेवा करने पर रोक लगाई है. उन्होंने कहा कि जब किसी विषय पर निर्णय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और उसी विषय पर अगर हम सदन में कोई विधेयक लाते हैं तो यह भारत के संविधान का उल्लंघन है. उन्होंने कहा कि सदन इस बात पर विचार करे कि कहीं हम महामहिम राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण तो नहीं कर रहे हैं ? इसलिए पहले इस पर छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता की राय ले लेनी चाहिए तथा जरूरत पड़े तो केन्द्र में अटार्नी जनरल के पास भेजकर राय ले लें और तभी इस विधेयक के पारण पर विचार उचित है.

स्वास्थ्य मंत्री श्री कृष्ण कुमार गुप्ता ने मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया द्वारा उच्च न्यायालय में दाखिल उस शपथ-पत्र को पढ़कर सुनाया जिसमें मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया ने स्वयं कहा है कि इस विषय पर निर्णय लेने का अधिकार राज्य शासन को है. उन्होंने कहा कि एम. सी. आई. के नियम केन्द्र सरकार ने बनाए हैं जिसके अंतर्गत हम लोग यह नियम बना रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि उच्च न्यायालय ने नियम या इसकी वैधता पर अभी कोई फैसला नहीं दिया है और न ही स्थगन दिया है इसलिए इस विधेयक पर आसानी से विचार हो सकता है और इस संबंध में सरकार ने विधि विभाग की राय ले ली है इसलिए एडवोकेट जनरल की पृथक से राय की आवश्यकता नहीं है.

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था देते हुए कहा कि जब बिल का पुरःस्थापन हो रहा था उसी समय पुरःस्थापन पर ही आपत्ति आनी चाहिए थी. अतः अब की जा रही आपत्ति विलम्बित है और विचार योग्य नहीं है. दूसरी बात, यह अध्यादेश चूंकि पहले निकल चुका है. इसलिए 6 महीने के भीतर इसको यहां पर विधेयक लाना लाजिमी है और मानक में परिवर्तन करने की तो यहां कोई बात ही नहीं है, जब पढ़ाई चालू होगी तब होगा. दूसरा विधेयक का विषय संविधान की सप्तम सूची में विनिर्दिष्ट समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 के अंतर्गत आता है और उसके अंतर्गत राज्य विधान मण्डल इस विधेयक को अधिनियमित करने के लिए सक्षम है. इसलिए इस विधान सभा को इस विषय पर विचार करने की अधिकारिता है.

माननीय अध्यक्ष ने आगे यह भी कहा कि राज्य शासन का निर्णय लोकहित में लिया गया दिखाई देता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां ज़्यादा बीमारी फैलती है वहां तात्कालिक सेवा उपलब्ध कराने की दृष्टि से शासन ने डॉक्टरों को व्यावहारिक और फील्ड का अनुभव लेने के लिए यह बंधन रखा है. इसमें स्टैण्डर्ड और मानक में परिवर्तन नहीं हो रहा है इसलिए इस सदन को इस पर विचार करने दिया जाए.

(चर्चा अपूर्ण रही.)

शुक्रवार, दिनांक 27 सितम्बर, 2002

(आश्विन 5, 1924)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 4 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उनके उत्तर दिए गए.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 18 तारांकित प्रश्नों के तथा 37 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. ध्यानाकर्षण

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज की कार्यसूची में 10 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को उनके विषय की गंभीरता और महत्व को ध्यान में रखते हुए सम्मिलित किया गया है. विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमशः प्रथम दो ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे. उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनायें संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा. लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी. संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा.

इस संबंध में सदन की सहमति चाही गई.

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

(1) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, अजय चन्द्राकर, सदस्य ने छत्तीसगढ़ वन विकास निगम के प्रबंध संचालक द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री डेरहूप्रसाद धृतलहरे, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

श्री महेश तिवारी, सदस्य ने सदन को सूचना देते हुए कहा कि अखिल भारतीय नवयुवक सतनामी समाज जन जागृति मण्डल, नागपुर के तत्वाधान में सतनामी समाज के लोगों ने रायपुर में एक रैली का आयोजन किया था लेकिन प्रशासन द्वारा राजधानी को चारों तरफ से सील कर दिया गया है.

श्री नंदकुमार पटेल, गृह मंत्री ने इस पर संक्षिप्त वक्तव्य दिया.

(गृह मंत्री के वक्तव्य से असंतुष्ट होकर भाजपा सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया.)

(2) सर्वश्री दाऊराम रत्नाकर, महेश तिवारी, शिवरतन शर्मा, सदस्य ने प्रदेश में उल्टी-दस्त एवं मलेरिया से मौतें होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन की सहमति से शासकीय विधेयकों के पुरःस्थापन लिए जाने तक सदन के समय में वृद्धि करने की घोषणा की.

श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुए माने गये :—

श्री रामविचार नेताम, सदस्य की पाल विधान सभा क्षेत्र में केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित राशि के विरूद्ध विकास कार्य प्रारंभ न किये जाने संबंधी सूचना तथा लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य.

श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य की प्रदेश की राजधानी एवं नगरीय निकाय क्षेत्रों के प्रमुख मार्गों पर पशुओं के विचरण से यातायात में अव्यवस्था होने संबंधी सूचना तथा नगरीय प्रशासन मंत्री का वक्तव्य.

सर्वश्री अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा, सदस्य की धमतरी जिले में प्रधान मंत्री सड़क योजना के अंतर्गत कराये गये कार्यों में अनियमितता होने संबंधी सूचना तथा पंचायत मंत्री का वक्तव्य.

सर्वश्री महेश तिवारी, गौरीशंकर अग्रवाल, सदस्य की भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी किये गये चांवल की प्रदेश में अवैध रूप से बिक्री होने संबंधी सूचना तथा खाद्य मंत्री का वक्तव्य.

सर्वश्री नारायण प्रसाद चंदेल, दाऊराम रत्नाकर, छतराम देवांगन, सदस्य की प्रदेश में अकाल की स्थिति होने के बाद भी सूखा राहत कार्य प्रारंभ न किये जाने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य.

सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, नारायण प्रसाद चंदेल, महेश तिवारी, सदस्य की कोरबा जिले में स्थापित ताप विद्युत संयंत्रों के उत्पादन में गिरावट होने संबंधी सूचना तथा ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य.

सर्वश्री महेश तिवारी, गौरीशंकर अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, सदस्य की प्रदेश में रेत माफियाओं का आतंक होने संबंधी सूचना तथा खनिज साधन मंत्री का वक्तव्य.

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य की प्रदेश में नक्सली गतिविधियों में वृद्धि होने एवं समानांतर सरकार चलाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य.

3. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि नियम 267-क के अधीन लंबित सूचनाओं में से 20 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर दिनांक 27-9-2002 को सदन में लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई है.

माननीय उपाध्यक्ष द्वारा की गई घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गई तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :—

(1) श्री लीलाराम भोजवानी

(2) श्री अजय चन्द्राकर

(3) श्री बृजमोहन अग्रवाल

(4) श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया

(5) श्री धरम कौशिक

(6) श्री संजीव शाह

(7) श्री रामविचार नेताम

(8) श्री सोहन लाल

(9) श्री योगेश्वरराज सिंह

(10) श्री गणेशराम भगत

(11) श्री गुलाब सिंह

(12) श्री जगजीत सिंह मक्कड़

(13) श्री मेघाराम साहू

(14) श्री दाऊराम रत्नाकर

(15) श्री शिवरतन शर्मा

(16) श्री ननकीराम कंवर

(17) श्री चरण सिंह मांझी

(18) प्रो. गोपाल राम

(19) रानी रत्नमाला देवी

(20) इंजी. रामेश्वर खरे

4. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री नंदकुमार पटेल, गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण विधेयक, 2002 (क्रमांक 22 सन् 2002) पुरःस्थापित किया.

(2) श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, सामान्य प्रशासन मंत्री ने छत्तीसगढ़ लोक आयोग विधेयक, 2002 (क्रमांक 27 सन् 2002) पुरःस्थापित किया.

(3) श्री सत्यनारायण शर्मा, शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक 28 सन् 2002) पुरःस्थापित किया.

(4) डॉ. प्रेमसाय सिंह, सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक 29 सन् 2002) पुरःस्थापित किया.

(5) श्री सत्यनारायण शर्मा, शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक 30 सन् 2002) पुरःस्थापित किया.

5. अशासकीय संकल्प

(1) श्री महेश तिवारी, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि "राज्य शासन धान खरीदी हेतु की गई व्यवस्था में व्याप्त खामियों को दूर करते हुए एक सम्यक् व्यवस्था लागू करने हेतु नीति का निर्धारण करें" तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :—

(1) श्री घनाराम साहू

(2) श्री गौरीशंकर अग्रवाल

(3) श्री डोमेन्द्र भेंडिया

(4) श्री शिवरतन शर्मा

(5) श्री अग्नि चन्द्राकर

(6) श्री अजीत जोगी, मुख्यमंत्री

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से अशासकीय संकल्प पर चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि करने की घोषणा की.

श्री मोहम्मद अकबर, राज्य मंत्री, खाद्य ने चर्चा का उत्तर दिया.

संकल्प प्रस्तुतकर्त्ता सदस्य एवं सदन की सहमति के परिप्रेक्ष्य में माननीय अध्यक्ष ने निम्नानुसार संशोधित रूप में संकल्प सभा के समक्ष रखा :—

"सदन का यह मत है कि भारत सरकार एवं राज्य शासन धान खरीदी हेतु की गई व्यवस्था में एक सम्यक् व्यवस्था लागू करने के लिए नीति का निर्धारण करें."

यथा संशोधित संकल्प सर्वानुमति से स्वीकृत हुआ.

सोमवार, दिनांक 30 सितम्बर, 2002

(आश्विन 8, 1924)

सदन की कार्यवाही प्रारंभ होते ही भाजपा के सदस्यों ने मांग की कि प्रश्नकाल स्थगित किया जाकर राजनांदगांव जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रेमबाई मंडावी को प्रलोभन देकर एवं धमकाकर दल-बदल करने हेतु मजबूर किये जाने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराई जावे.

लगातार व्यवधान होने से माननीय अध्यक्ष ने 11.05 बजे सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की. 11.16 बजे सभा की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 8 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उनके उत्तर दिए गए.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 15 तारांकित प्रश्नों के तथा 42 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि—कार्यमंत्रणा समिति की बैठक दिनांक 30 सितम्बर, 2002 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित विधेयकों के लिए उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है :—

		निर्धारित समय
	शासकीय विधि विषयक कार्य	
(1)	छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2002	15 मिनट
(2)	छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2002	15 मिनट
(3)	छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2002	15 मिनट

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि आज दिनांक 30 सितम्बर, 2002 का भोजन अवकाश नहीं होगा.

श्री सत्यनारायण शर्मा, शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि शासकीय विधेयकों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण के संबंध में कार्यमंत्रणा समिति की जो सिफारिश पढ़कर सुनाई गई, सदन उन्हें स्वीकृति देता है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

3. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री भूपेश बघेल, राजस्व मंत्री ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2002 पुरःस्थापित किया.

4. मंत्रि-परिषद् के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेने वाले माननीय सदस्यों को बोलने के लिए निम्नानुसार व्यवस्था दी :—

आज वक्ताओं के लिए पोडियम व्यवस्था रहेगी. सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य, माननीय वित्त मंत्री के आसन पर आकर अपने विचार प्रकट करेंगे तथा प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य माननीय उपाध्यक्ष के भाषण के पश्चात् उनके आसन से अपने विचार प्रकट करेंगे. माननीय मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष अपने स्थान से ही बोलेंगे.

तत्पश्चात् श्री नंदकुमार साय, नेता प्रतिपक्ष ने प्रस्ताव किया कि "यह सदन मुख्यमंत्री, श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी व उनके मंत्रि-परिषद् के विरुद्ध अविश्वास प्रकट करता है" नेता प्रतिपक्ष द्वारा माननीय अध्यक्ष की अनुमति से अविश्वास प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत आरोप-पत्र को पूरा पढ़ा गया.

प्रस्ताव प्रस्तुत होने के उपरांत अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हेतु श्री बनवारीलाल अग्रवाल ने चर्चा प्रारंभ की.

श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने कोल एण्ड शकधर की पुस्तक "संसदीय पद्धति एवं प्रक्रिया" के पृष्ठ-129 का उल्लेख करते हुए व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि माननीय उपाध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव पर नहीं बोलना चाहिए.

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि माननीय उपाध्यक्ष की एक सीट यह (आसंदी) है और वह भी तब जब अध्यक्ष न रहे और दूसरी सीट नीचे है और इसलिए माननीय उपाध्यक्ष को जरूर इस बात की मुमानियत है कि वे प्रश्न नहीं करेंगे, ध्यानाकर्षण नहीं उठायेंगे, स्थगन प्रस्ताव नहीं लायेंगे किन्तु उनको वाद-विवाद में किसी भाषण में बोलने से रोका नहीं जा सकता.

निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :—

श्री बनवारीलाल अग्रवाल, श्री नंदकुमार पटेल, गृह मंत्री, सदस्य श्री महेश तिवारी, श्री धर्मजीत सिंह, श्री बृजमोहन अग्रवाल, श्री डोमेंद्र भेंडिया, श्री ननकीराम कंवर, श्री अग्नि चन्द्राकर, श्री दाऊराम रत्नाकर, श्री रामविचार नेताम, श्री गणेश शंकर बाजपेयी, श्री चोवादास खांडेकर, डॉ. हरिदास भारद्वाज, श्री लीलाराम भोजवानी, श्री शंकर सोढ़ी, श्रम मंत्री, सदस्य श्री अमर अग्रवाल, श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर, श्री मेघाराम साहू.

पुनः निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :—

श्री ताम्रध्वज साहू, राज्य मंत्री, शिक्षा, सदस्य श्री अजय चन्द्राकर, श्री परेश बागबाहरा, श्री विक्रम मोहले, डॉ. शक्राजीत नायक, राज्य मंत्री, जल संसाधन, सदस्य श्री धरम कौशिक, श्री देवव्रत सिंह, श्री शिवरतन शर्मा, श्री मदन सिंह डहरिया, श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, डॉ. रामलाल भारद्वाज, श्री नारायण प्रसाद चंदेल, श्री सत्यनारायण शर्मा, शिक्षा मंत्री, सदस्य श्री गौरीशंकर अग्रवाल, श्री गुलाब सिंह, श्री संजीव शाह, श्री लखमा, श्री जगजीत सिंह मक्कड़, प्रो. गोपालराम.

मंगलवार, दिनांक 1 अक्टूबर, 2002

(आश्विन 9, 1924)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 7 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उनके उत्तर दिये गये.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 18 तारांकित प्रश्नों तथा 35 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

व्यवधान होने से 11.53 बजे सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित हुई. 12.00 बजे सभा की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई.

2. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर की सभा (कोर्ट) के लिए 8 सदस्यों का निर्वाचन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की सभा (कोर्ट) के लिए 8 सदस्यों के निर्वाचन के लिए नाम वापसी के पश्चात् 8 उम्मीदवार शेष रहे हैं.

चूंकि उक्त विश्वविद्यालय की सभा (कोर्ट) के लिए 8 ही सदस्य निर्वाचित किए जाने हैं. अतः निम्नलिखित माननीय सदस्यों को उक्त विश्वविद्यालय की सभा (कोर्ट) के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जाता है :—

(1) डॉ. हरिदास भारद्वाज

(2) श्री मन्तूराम पवार

(3) श्रीमती इंग्रिड क्रिस्टिन मैक्लॉउड

(4) श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर

(5) श्रीमती श्यामा ध्रुवा

(6) श्री योगेश्वरराज सिंह

(7) श्री लीलाराम भोजवानी

(8) श्री बृजमोहन अग्रवाल

3. ध्यानाकर्षण

कार्यसूची में दर्ज निम्नलिखित माननीय सदस्यों की ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उन पर माननीय मंत्रियों का वक्तव्य सदन में पढ़ा हुआ माना गया :—

(1) श्री महेश तिवारी, सदस्य की इंद्रावती नदी का जल प्रवाह परिवर्तित होने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य.

(2) सर्वश्री धरम कौशिक, छतराम देवांगन, सदस्य की प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लो-वोल्टेज होने से उत्पन्न समस्याओं संबंधी सूचना तथा ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य.

(3) सर्वश्री गणेशराम भगत, शिवरतन शर्मा, अजय चन्द्राकर, सदस्य की शा. बहु. विकलांग गृह माना में पदस्थ अधीक्षिका द्वारा अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री का वक्तव्य.

(4) प्रो. गोपाल राम, सदस्य की सरगुजा जिले के सीतापुर विकासखण्ड में व्यापारियों द्वारा चांवल की कालाबाजारी किये जाने संबंधी सूचना तथा खाद्य मंत्री का वक्तव्य.

(5) श्री नंदकुमार साय, सदस्य की प्रदेश की पेयजल योजनाओं में करोड़ों रुपयों का भ्रष्टाचार होने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का वक्तव्य.

(6) श्री सोहन लाल, सदस्य की खनिज विकास निगम में भ्रष्टाचार एवं अनियमिततायें व्याप्त होने संबंधी सूचना तथा खनिज साधन मंत्री का वक्तव्य.

(7) श्री प्रेमसिंह सिदार, सदस्य की विकासखण्ड तमनार में स्थापित नालवा स्पंज इस्पात संयंत्र के विषैले धुएं से ग्रामीणों में बीमारियां फैलने संबंधी सूचना तथा पर्यावरण मंत्री का वक्तव्य.

(8) सर्वश्री गणेशराम भगत, मेघाराम साहू, सदस्य की कोरबा एवं रायपुर जिले में निर्माण कार्य में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा आदिमजाति कल्याण मंत्री का वक्तव्य.

(9) श्री प्रेमसिंह सिदार, सदस्य की विकासखण्ड तमनार के ग्राम पंचायत आमगांव के सरपंच पर प्राण घातक हमला होने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य.

(10) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा, सदस्य की दुर्ग न्यायालय से कैदियों के फरार होने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य.

(11) सर्वश्री शिवरतन शर्मा, अजय चन्द्राकर, सदस्य की थाना कवर्धा में एक व्यक्ति की मृत्यु होने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य.

(12) सर्वश्री महेश तिवारी, गौरीशंकर अग्रवाल, जगजीत सिंह मक्कड़, सदस्य की प्रदेश में छात्रों को समय पर पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध न होने संबंधी सूचना तथा शिक्षा मंत्री का वक्तव्य.

(13) श्री घनाराम साहू, सदस्य की गुण्डरदेही क्षेत्र के ग्राम कोगना में ग्रामीणों के साथ मारपीट किए जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य.

(14) श्री सोहनलाल, सदस्य की सरगुजा जिले में धान खरीदी में अनियमितता होने संबंधी सूचना तथा खाद्य मंत्री का वक्तव्य.

(15) श्रीमती रानी रत्नमाला देवी, सदस्य की सक्ती कृषि उपज मंडी में धान खरीदी में अनियमितता होने संबंधी सूचना तथा खाद्य मंत्री का वक्तव्य.

(16) श्री दाऊराम रत्नाकर, सदस्य की रायपुर जिले के राजिम थानान्तर्गत ग्राम पोखरा में एक व्यक्ति की हत्या किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य.

(17) श्री धरम कौशिक, सदस्य की जिला बिलासपुर के जनपद पंचायत बिल्हा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पोड़ी के जलाशय से पानी के अत्यधिक बहाव से फसलों की क्षति होने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य.

(18) सर्वश्री नारायण प्रसाद चंदेल, ननकीराम कंवर, सदस्य की खरसिया शाखा नहर के निर्माण में भ्रष्टाचार एवं अनियमितता होने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य.

(19) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, शिवरतन शर्मा, सदस्य की प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अवैध निर्माण कार्यों का नियमितिकरण किये जाने संबंधी सूचना तथा नगरीय प्रशासन मंत्री का वक्तव्य.

(20) सर्वश्री धर्मजीत सिंह, चोवादास खांडेकर, लीलाराम भोजवानी, सदस्य की कक्षा ग्यारहवीं की पाठ्य पुस्तक में गुरु घासीदास जी के लिये आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किये जाने संबंधी सूचना तथा शिक्षा मंत्री का वक्तव्य.

(21) श्री गणेश राम भगत, सदस्य की जशपुर जिले के सन्ना वन परिक्षेत्र में साल बीज खरीदी के नाम पर आदिवासियों का शोषण किये जाने संबंधी सूचना तथा वन मंत्री का वक्तव्य.

(22) सर्वश्री चोवादास खांडेकर, अजय चंद्राकर, शिवरतन शर्मा, सदस्य की विकासखण्ड खरसिया के ग्राम तेलीकोट के छात्रों के जाति प्रमाण-पत्र में आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किये जाने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य.

(23) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा, सदस्य की प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में लंबित पेयजल योजनाओं को शीघ्र पूर्ण किये जाने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का वक्तव्य.

(24) सर्वश्री लीलाराम भोजवानी, बृजमोहन अग्रवाल, महेश तिवारी, सदस्य की प्रदेश में वनों की अवैध कटाई होने संबंधी सूचना तथा वन मंत्री का वक्तव्य.

(25) श्री चरण सिंह मांझी, सदस्य की उदन्ती अभ्यारण में हिरण को मारे जाने पर वन विभाग के अधिकारियों द्वारा आदिवासियों को परेशान किये जाने संबंधी सूचना तथा वन मंत्री का वक्तव्य.

(26) सर्वश्री महेश तिवारी, लीलाराम भोजवानी, अमर अग्रवाल, सदस्य की जिला कोरिया की हसदी नदी वन परिक्षेत्र एवं बिहारपुर वन मंडल मनेन्द्रगढ़ वृत्त सरगुजा में सागौन, खैर एवं चंदन के वृक्षों की अवैध कटाई एवं तस्करी होने संबंधी सूचना तथा वन मंत्री का वक्तव्य.

(27) सर्वश्री गौरीशंकर अग्रवाल, नारायण प्रसाद चंदेल, ननकीराम कंवर, सदस्य की प्रदेश के कृषकों को फसल बीमा योजना का लाभ न मिलने संबंधी सूचना तथा कृषि मंत्री का वक्तव्य.

(28) सर्वश्री शिवरतन शर्मा, अजय चन्द्राकर, बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य की शासन द्वारा बहुमूल्य खनिज पदार्थ हीरा खदानों के दोहन, सर्वेक्षण एवं अन्वेषण के लिए कोई नीति का निर्धारण न होने संबंधी सूचना तथा खनिज साधन मंत्री का वक्तव्य.

(29) सर्वश्री रामविचार नेताम, महेश तिवारी, अजय चन्द्राकर, सदस्य की छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक और ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष द्वारा नियम विरुद्ध आदेश जारी किये जाने संबंधी सूचना तथा सहकारिता मंत्री का वक्तव्य.

4. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि नियम 267-क के अधीन लंबित सूचनाओं में से 22 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज दिनांक 1-10-2002 को सदन में लिये जाने की उन्होंने अनुज्ञा प्रदान की है.

निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

(1) श्री गणेश राम भगत

(2) श्री मेघाराम साहू

(3) श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया

(4) श्री अजय चन्द्राकर

(5) श्री संजीव शाह

(6) श्री बृजमोहन अग्रवाल

(7) श्री रामविचार नेताम

(8) श्री ननकीराम कंवर

(9) श्री सोहनलाल

(10) श्री शिवरतन शर्मा

(11) श्री धरम कौशिक

(12) श्री लीलाराम भोजवानी

(13) श्री योगेश्वरराज सिंह

(14) श्री रामदेव राम

(15) श्रीमती रानी रत्नमाला देवी

(16) श्री नारायण प्रसाद चंदेल

(17) श्री अमर अग्रवाल

(18) प्रो. गोपाल राम

(19) इंजी. रामेश्वर खरे

(20) श्री धर्मजीत सिंह

(21) श्री विक्रम दास मोहले

(22) श्री चोवादास खाण्डेकर

5. याचिका की प्रस्तुति

श्री नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य की जांजगीर जिले धार्मिक स्थल मदनपुरगढ़ के समीप चौतरिया नाले पर पुल निर्माण किये जाने संबंधी याचिका सदन में प्रस्तुत की हुई मानी गई.

6. प्रश्न के उत्तर में संशोधन

श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, सामान्य प्रशासन मंत्री का दिनांक 27-2-2002 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्रमांक-247) के उत्तर में संशोधन के संबंध में वक्तव्य सदन में दिया हुआ माना गया.

7. मंत्रि-परिषद् के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव (चर्चा का पुनर्ग्रहण)

श्री नंदकुमार साय, नेता प्रतिपक्ष ने चर्चा में भाग लिया.

श्री अजीत जोगी, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

श्री नंदकुमार साय, नेता प्रतिपक्ष ने संक्षिप्त भाषण दिया.

प्रस्ताव पर मत विभाजन हुआ.

प्रस्ताव के पक्ष में 22 मत तथा विपक्ष में 61 मत प्राप्त हुए.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ.

8. नियम-167 के अंतर्गत अग्राह्य विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं की सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम-167 के अंतर्गत उनके समक्ष विचाराधीन निम्नलिखित विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं को उन्होंने अपने कक्ष में अग्राह्य कर दिया है :-

(1) माननीय सदस्य श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा बारूदना खरीदी के संबंध में सदन में असत्य जानकारी देने बाबत माननीय

मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी एवं माननीय राज्यमंत्री, खाद्य श्री मोहम्मद अकबर के विरुद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना दिनांक 12 अप्रैल, 2002.

(2) माननीय सदस्य श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के संदर्भ में विधान सभा की अवमानना बाबत माननीय मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी, माननीय वित्त मंत्री श्री रामचन्द्र सिंहदेव, मुख्य सचिव श्री अरूण कुमार, प्रमुख सचिव (वित्त) श्री एस. पी. त्रिवेदी के विरुद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना दिनांक 8 अगस्त, 2002.

9. नियम-239 के अंतर्गत विचाराधीन विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं की सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि उनके समक्ष निम्नांकित विशेषाधिकार भंग की सूचनाएं विचाराधीन हैं :-

(1) माननीय सदस्य श्री शिवरतन शर्मा द्वारा शासकीय गजानंद महाविद्यालय, भाटापारा जिला-रायपुर की प्राचार्य सुश्री सरोज दुबे के विरुद्ध प्रस्तुत सूचना दिनांक 9 सितम्बर, 2002.

(2) माननीय सदस्य श्री महेश तिवारी एवं 10 अन्य तथा माननीय सदस्य श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा माननीय गृह मंत्री श्री नंदकुमार पटेल के विरुद्ध प्रस्तुत सूचना दिनांक 26 सितम्बर, 2002.

10. नियम-169 के अंतर्गत सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि उन्होंने माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय द्वारा दल परिवर्तन के आधार निरर्हता नियम, 1986 एवं संविधान की दसवीं अनुसूची के अंतर्गत मेरे विनिश्चय दिनांक 20-12-2001 पर पुनर्विचार हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 18-06-2002 छत्तीसगढ़ दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता नियम, 1986 के नियम-7 के अंतर्गत परीक्षण एवं प्रारंभिक जांच हेतु विशेषाधिकार समिति को संदर्भित कर दिया है.

11. नियम-228 के अंतर्गत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

(1) श्री डोमेंद्र भेंडिया, सभापति, विशेषाधिकार समिति ने छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम-228 के अंतर्गत प्रस्ताव किया कि :-

1. श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, सदस्य द्वारा श्री एम. के. पाण्डे, अपर संचालक वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के विरुद्ध.

2. माननीय श्री नंदकुमार साय, सदस्य विधान सभा एवं नेता प्रतिपक्ष द्वारा रायपुर के जिलाधीश एवं तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग की सूचना पर प्रस्तुत प्रथम प्रतिवेदन पर पुनर्विचार एवं प्रतिवेदन हेतु समिति को संदर्भित सूचनाओं पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(2) श्री डोमेंद्र भेंडिया, सभापति, विशेषाधिकार समिति ने छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम-228 के अंतर्गत प्रस्ताव किया कि :-

1. माननीय सदस्य श्री बनवारी लाल अग्रवाल, द्वारा विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम 1986 के अंतर्गत माननीय सदस्य श्री डेरहूप्रसाद धृतलहरे की सदस्यता समाप्त किए जाने विषयक समिति को प्रारंभिक जांच हेतु संदर्भित अर्जी पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, महेश तिवारी तथा भाजपा सदस्यों ने श्रीमती प्रेमबाई मंडावी, जिला पंचायत अध्यक्ष, राजनांदगांव को प्रलोभन देकर दल-बदल कराने संबंधी मामला उठाया.

व्यवधान के बीच भाजपा सदस्यों ने नारे लगाये तथा प्रकरण की जांच सी. बी. आई. से कराने हेतु मांग की.

माननीय अध्यक्ष की अनुमति से श्री नंदकुमार पटेल, गृह मंत्री ने संक्षिप्त उत्तर दिया.

12. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ चिकित्सा महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश विधेयक, 2002 पर विचार किया जाए.

सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, नारायण प्रसाद चंदेल, डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया.

श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, स्वास्थ्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

खण्ड 2 से 5 विधेयक के अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

पूर्णनाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, स्वास्थ्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ चिकित्सा महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश विधेयक, 2002 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

(2) श्री शंकर सोढ़ी, श्रम मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध (संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार किया जाए.

सदस्य श्री लीलाराम भोजवानी, डॉ. हरिदास भारद्वाज, श्री ननकीराम कंवर, श्री धरम कौशिक ने चर्चा में भाग लिया.

श्री शंकर सोढ़ी, श्रम मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

खण्ड 2 विधेयक का अंग बना.

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना.

पूर्णनाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री शंकर सोढ़ी, श्रम मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध (संशोधन) विधेयक, 2002 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

(3) श्री नंदकुमार पटेल, गृह मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार किया जाए.

सदस्य श्री अमर अग्रवाल, श्री बृजमोहन अग्रवाल, डॉ. हरिदास भारद्वाज, श्री अजय चन्द्राकर, श्री विधान मिश्रा, राज्यमंत्री, उद्योग, श्री लीलाराम भोजवानी, श्री शिवरतन शर्मा ने चर्चा में भाग लिया.

श्री नंदकुमार पटेल, गृह मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

खण्ड 2 विधेयक का अंग बना.

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना.

पूर्णनाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री नंदकुमार पटेल, गृह मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2002 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

(4) श्री भूपेश बघेल, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार किया जाए.

सदस्य श्री अजय चन्द्राकर, डॉ. हरिदास भारद्वाज, श्री धरम कौशिक, सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया.

श्री भूपेश बघेल, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

खण्ड 2 से 5 विधेयक के अंग बने.

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना.

पूर्णनाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री भूपेश बघेल, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2002 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

(5) श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, सामान्य प्रशासन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ लोक आयोग विधेयक, 2002 पर विचार किया जाए.

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि-"छत्तीसगढ़ लोक आयोग विधेयक, 2002 (क्रमांक-27 सन् 2002) प्रवर समिति को सौंपा जाए" तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ.

श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, सामान्य प्रशासन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ लोक आयोग विधेयक, 2002 पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि खण्ड 2 में इस प्रकार संशोधन किया जाये :—

(1) खण्ड 2 के उप-खण्ड (ख) (एक) व (तीन) में शब्द ''मुख्यमंत्री'' के स्थान पर शब्द ''राज्यपाल'' प्रतिस्थापित किया जाये, तथा

(2) उप-खण्ड (ख) (पांच) में शब्द ''सरकार'' के स्थान पर शब्द ''राज्यपाल'' प्रतिस्थापित किया जाये, एवं

(3) उप-खण्ड (झ) (तीन) को विलोपित किया जाये.

संशोधन अस्वीकृत हुआ.

खण्ड 2 विधेयक का अंग बना.

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि खण्ड 3 में इस प्रकार संशोधन किया जाये :—

(1) खण्ड 3 के उप-खण्ड (2) को निम्न प्रकार संशोधित किया जाये—''लोक आयोग एक या अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगा, जिसमें एक सदस्य प्रमुख लोक आयुक्त होगा तथा कम से कम दो सदस्य लोक आयुक्त होंगे'', तथा

(2) उप-खण्ड (4) को निम्न प्रकार संशोधित किया जाये—''लोक आयुक्त ऐसा व्यक्ति होगा, जो कम से कम उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो'', एवं

(3) उप-खण्ड (5) में शब्द ''छत्तीसगढ़ विधान सभा अध्यक्ष'' के पश्चात् शब्द ''एवं छत्तीसगढ़ विधान सभा के नेता प्रतिपक्ष'' प्रतिस्थापित किया जाये तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, सामान्य प्रशासन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

संशोधन अस्वीकृत हुआ.

खण्ड 3 विधेयक का अंग बना.

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि खण्ड 11 के स्पष्टीकरण में इस प्रकार संशोधन किया जाये :—

खण्ड 11 के स्पष्टीकरण में अंकित शब्दावली ''इसके सदस्यों की बहू संख्या का मत'' के स्थान पर शब्दावली ''प्रमुख लोक आयुक्त का मत'' प्रतिस्थापित की जाये तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, सामान्य प्रशासन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

खण्ड 11 विधेयक का अंग बना.

खण्ड 4 से 10 तथा 12 से 20 एवं अनुसूची 1, 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना.

पूर्णनाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, सामान्य प्रशासन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ लोक आयोग विधेयक, 2002 पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

(6) श्री सत्यनारायण शर्मा, शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

खण्ड 2 विधेयक का अंग बना.

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना.

पूर्णनाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री सत्यनारायण शर्मा, शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2002 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

(7) डॉ. प्रेमसाय सिंह, सहकारिता मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार किया जाए.

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया.

डॉ. प्रेमसाय सिंह, सहकारिता मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

खण्ड 2 विधेयक का अंग बना.

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना.

पूर्णनाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

डॉ. प्रेमसाय सिंह, सहकारिता मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2002 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

(8) श्री सत्यनारायण शर्मा, शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार किया जाए.

श्री देवव्रत सिंह, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया.

श्री सत्यनारायण शर्मा, शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

खण्ड 2 विधेयक का अंग बना.

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना.

पूर्णनाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री सत्यनारायण शर्मा, शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2002 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

सत्र का समापन

माननीय अध्यक्ष द्वारा सत्र के समापन के अवसर पर निम्नलिखित उद्‌गार प्रकट किये गये :—

इस पावस सत्र का आज अंतिम दिन है. गत बजट सत्र की अपेक्षा यह लघु सत्र होते हुए भी काफी सार्थक सत्र रहा है. दिनांक 23 सितंबर, 2002 से प्रारंभ होकर यह सत्र दिनांक 1 अक्टूबर, 2002 तक चला. 9 दिनों की कुल सत्रावधि में सदन की कुल 7 बैठकें हुई जिसमें अनेक वित्तीय, विधायी और लोक महत्व के कार्य हुए, जिसमें वर्ष 2002-03 की प्रथम अनुपूरक मांगों एवं 10 विधेयकों का पारण सम्मिलित है. यानि मैं समझता हूं कि थोड़े समय में ज्यादा से ज्यादा काम करने का हमने एक प्रकार से कीर्तिमान बनाया या लक्ष्य पूरा किया. अनुपूरक बजट पर 3 घंटे 17 मिनट तथा प्रश्नों पर 5 घंटे 04 मिनट चर्चा हुई. इस सत्र में 92 स्थगन प्रस्ताव, 446 ध्यानाकर्षण सूचनाएं प्रस्तुत हुई, यह भी सदस्यों की रुचि का प्रतीक है. जैसा कि हम सब जानते हैं कि सात दिन की विधान सभा में पहला दिन तो श्रद्धांजलि में गया. छः दिन की विधान सभा में 446 ध्यानाकर्षण सूचनायें आना, यह विधायकों की जागरूकता का परिचायक है. इस सत्र में 597 प्रश्न, 13 अशासकीय संकल्प, 3 याचिकाएं प्रस्तुत हुई.

इस सत्र में पूछे गए 488 प्रश्नों में 400 प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के थे. ये कुल प्रश्नों का 81 प्रतिशत है, कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा 67 प्रश्न पूछे गए जो कुल प्रश्नों का लगभग 14 प्रतिशत है. सर्वाधिक 28 प्रश्न पूछने वाले सदस्य श्री अजय चन्द्राकर एवं श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया रहे हैं. मैं इनको बधाई देता हूं.

इस सत्र में मंत्रि-मण्डल के विरुद्ध प्रथम अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया. इस मामले में भी छत्तीसगढ़ की विधान सभा ने रिकार्ड बनाया है, इस प्रस्ताव पर इस सत्र में कुल 17 घंटे 08 मिनट तक चर्चा हुई. छत्तीसगढ़ विधान सभा के अभी तक हुए 6 सत्रों में एक ही दिन में 12 घंटे 26 मिनट तक जो चर्चा की गई वह एक ही दिन में किसी प्रस्ताव पर की गई चर्चा में सर्वाधिक समय का रिकार्ड है. इस सत्र में सभी महत्वपूर्ण विषयों पर खुलकर सार्थक चर्चा की गई. जिन महत्वपूर्ण एवं सामयिक विषयों पर सार्थक चर्चा की गई, उनमें राज्य शासन द्वारा धान खरीदी हेतु सम्यक् व्यवस्था लागू करने, राज्य की वर्षा, जलवायु, जमीन और बाजार के अनुकूल फसल चक्र परिवर्तन तथा सड़क, विद्युत, जल संसाधन, स्वास्थ्य जैसी जनता से जुड़ी हुई समस्याओं पर चर्चायें प्रमुख है.

इस लघु सत्र की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि यदि कोई कही जायेगी तो वह है एक दिन के लिए ही सही परन्तु सफलतापूर्वक ''पोडियम'' व्यवस्था का लागू होना. मैं उसके लिए भी सदन के सभी सदस्यों का आभारी हूं. यह सही है कि अमेरिका या यूरोपीय देशों से इस देश एवं प्रदेश की परिस्थितियां पृथक हैं, वहां हमारे यहां जैसे प्रश्नकाल या ध्यानाकर्षण जैसी कार्यवाहियां नहीं होती इसलिये प्रदेश की परिस्थितियों को देखते हुए इस ''पोडियम व्यवस्था'' को यहां कैसे लागू किया जा सकता है, इसकी एक व्यावहारिक योजना बनायी जायेगी और आप सभी से चर्चा कर इस व्यवस्था को लागू करने की कार्यवाही होगी. मेरा मानना है कि यदि यह व्यवस्था चालू हो गयी तो यह इस देश की अपने आप में पहली व्यवस्था होगी. कल की पोडियम व्यवस्था से निश्चित रूप से पूरे राष्ट्र को भी एक संदेश जाएगा.

दूसरी महत्वपूर्ण कार्यवाही जो इस सत्र में हुई वह प्रदेश के 32 विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के छात्रों द्वारा विधान सभा की कार्यवाहियों का अवलोकन किया जाना. निधन उल्लेख के दिन को छोड़ इस सत्र के सभी 6 दिनों में विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के छात्रों ने विधान सभा की कार्यवाहियों को देखा. प्रतिदिन औसतन 125 छात्र कार्यवाही देखने आये. कुल 749 छात्र-छात्राओं ने कार्यवाही को देखा. व्यवस्थानुसार छात्रों से मैंने एवं अन्य मंत्रियों, पक्ष-विपक्ष के विधायकों ने भी चर्चायें की तथा उनकी जिज्ञासाओं को जाना एवं उनके उत्तर भी दिये. निश्चित रूप से छात्रगण इस दौरान सकारात्मक संदेश लेकर गये. छात्र, जो इस देश का भविष्य है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति यदि सकारात्मक भाव बनायेंगे तो निश्चित रूप से इस व्यवस्था को लाभ पहुंचेगा. मेरा यह प्रयास होगा कि यह व्यवस्था आगे भी जारी रहे और हर वर्ग के लोग इस व्यवस्था को देखें व समझें. आगामी सत्र में मीडिया से जुड़े उन प्रतिनिधियों को भी विधान सभा की कार्यवाही दिखलायी जायेगी, जो सभा में रिपोर्टिंग का कार्य नहीं करते वरन् प्रेस में डेस्क पर बैठकर विधान सभा की कार्यवाहियों में सहयोग करते हैं, जब वे स्वयं कार्यवाही देखेंगे तो निश्चित रूप से विधान सभा कार्यवाही प्रकाशन की गुणवत्ता में और सुधार आयेगा. आपने यह भी अनुभव किया होगा कि इस सत्र में रायपुर में दूरदर्शन का केन्द्र स्थापित हो जाने के कारण दूरदर्शन ने भी समय-समय पर यहां से चित्र लिये हैं और उनको 5 बजकर 40 मिनट वाले कार्यक्रम में दिखाया भी है.

छोटे सत्रों में कार्य का दबाव ज्यादा रहता है. हर सदस्य अपनी-अपनी समस्याओं को रखने का आग्रह करता है. जन समस्याओं के तमाम दबावों के बावजूद सदस्यों ने संयम बनाए रखा. सदन में जो सौहार्द् कायम रहा और जो स्वस्थ परम्पराएं बनीं इन सबका श्रेय किन्हीं 2 व्यक्तियों को देने का मुझसे कहा जाए तो मैं निश्चित रूप से इसका श्रेय सदन के नेता श्री अजीत जोगी और नेता प्रतिपक्ष श्री नंद कुमार साय को दूंगा.

मैं, इस अवसर पर मान. उपाध्यक्ष का विशेष रूप से आभारी हूं उन्होंने सदन के संचालन में एक सक्षम सहयोगी की भूमिका निभाई. निश्चित रूप से वे लक्ष्मण सिद्ध हुए हैं. सभापति तालिका के सदस्यों का भी मैं आभारी हूं. मीडिया प्रतिनिधियों ने भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई इस हेतु वे बधाई के पात्र हैं. मैं सुरक्षा के प्रभारी अधिकारियों/कर्मचारियों का भी आभारी हूं इन्होंने भी विगत सत्र के अपने अनुभव से काफी कुछ सीखा और इस सत्र में कोई भी अप्रिय स्थिति नहीं आने दी. विधान सभा के सचिव और सम्पूर्ण अमले की भी मैं सराहना करता हूं जिन्होंने सक्षमतापूर्वक कार्य कर समस्त कार्यवाहियां व्यवस्थित बनाने में सहयोग दिया.

सदन में राष्ट्रगान धुन ''जन-गण-मन'' बजाई गई.

माननीय अध्यक्ष द्वारा सत्र समापन की घोषणा की गई.

इसके पश्चात् विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई.